

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक—एस०एस०ए० / के०जी०बी०वी० / ६०४४-७८

/2024-25 दिनांक : १५/११/२०२४

विज्ञप्ति

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय उ०प्र०, विद्याभवन, निशात गंज, लखनऊ के पत्रांक—के०जी०बी०वी० / ११३०८ / २०२२-२३ दिनांक १४.०२.२०२३ के साथ संलग्न शासनादेश संख्या—२८०५/६८-५-२०२३-५ / २०२० दिनांक ०१.०२.२०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शासनादेश सं०-१५५३ / ६८-५-२०२० बेसिक शिक्षा अनुभाग—५ लखनऊ, दिनांक ११ दिसम्बर २०२० में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य महिला अभ्यर्थियों से एक वर्ष/शैक्षिक सत्र के लिए संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाहजहाँपुर में विलम्बतम् दिनांक ०२-१२-२०२४ को सायं ०५ बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। साधारण डाक/कोरियर आदि से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले, अपूर्ण व निर्धारित योग्यता धारित न करने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण एवं निर्धारित अर्हता निम्नवत है :-

क्र० सं०	विषय	निर्धारित शैक्षिक योग्यता	श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या			
			अनारक्षित	अन्य पिछङ्गा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल रिक्त पदों की संख्या
१	पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय	सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०)	२	०	१	३
२	पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी	अंग्रेजी (अंग्रेजी से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०)	०	१	०	१
३	पूर्णकालिक शिक्षिका गणित	गणित (पी०सी०एम० वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०)	६	०	१	७
४	पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान	विज्ञान (जेड०बी०सी० वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०)	३	०	०	३
५	पूर्णकालिक शिक्षिका हिन्दी	भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०)	०	०	२	२
६	अंशकालिक शिक्षिका कला / क्रॉफ्ट संगीत	कला, क्राफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प विषय से स्नातक व एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०ए८० / समकक्ष एल०टी० प्रशिक्षण योग्यता	१	०	०	१
७	अंशकालिक शिक्षिका कम्प्यूटर	प्रशिक्षित स्नातक एवं पी०जी०डी०सी०ए० / बी०सी०ए० / बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई० ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा	८	०	१	९
८	अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा	बी०पी०ए८० / सी०पी०ए८० / डी०पी०ए८०	२	०	१	३
९	उर्दू शिक्षिका	बी०ए० उर्दू विषय से तथा एल०टी० या बी०टी० या बी०ए८० या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा	१	०	३	४
१०	लेखाकार	स्नातक वाणिज्य एवं एम०एस०आफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। DOEACC या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जायेगी।	१	०	२	३
११	मुख्य रसोइया	कक्षा-८ उत्तीर्ण। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।	२	१	०	३
१२	सहायक रसोइया	कक्षा-८ उत्तीर्ण। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।	६	२	०	८
१३	चपरासी	कक्षा-८ उत्तीर्ण। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।	२	०	१	३
१४	चौकीदार	कक्षा-८ उत्तीर्ण। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।	१	१	१	३
	योग		३५	५	१३	५३

नोट : रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। उपरोक्त समस्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र है। विषयवार पदों की संख्या व इन पर चयन माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—१३५५३ / २०२२ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। किसी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी उपरोक्त चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

के०जी०बी०वी० में नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों के प्रतिमाह संकलित मानदेय का विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	पदनाम	प्रतिमाह निर्धारित नियत मानदेय
१	पूर्णकालिक शिक्षिका	२४२००/-
२	अंशकालिक शिक्षिका	१२१८१/- (ई०पी०ए८० सहित)
३	उर्दू शिक्षिका (अंशकालिक)	१६४०८/- (ई०पी०ए८० सहित)
४	लेखाकार	१३६७३/- (ई०पी०ए८० सहित)
५	मुख्य रसोइया	८५७७/- (ई०पी०ए८० सहित)

० ।

6	सहायक रसोईया	6433/- (ई०पी०एफ० सहित)
7	चपरासी	7147/- (ई०पी०एफ० सहित)
8	चौकीदार	7147/- (ई०पी०एफ० सहित)

आवश्यक निर्देश/अर्हता :-

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की ऐसी शिक्षिका जो शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था के कारण शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये थे, उन शिक्षिकाओं को चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के०जी०बी०वी०/३-२/१९१६/२०१३-१४ दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी०ई०टी० की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। आवेदक को तत्सम्बंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु संस्था से पी०जी०डी०सी०ए०/बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, काफट एवं संगीत आदि विषयों के लिये शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प की शिक्षिका का पद कला, काफट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी०पी०एड०,सी०पी०एड० तथा डी०पी०एड० आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी०पी०एड०, सी०पी०एड० तथा डी०पी०एड० अभ्यर्थियों हेतु टी०ई०टी० अनिवार्य नहीं होगी।
- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता वाणिज्य स्नातक होगी तथा एम०एस० ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षण में 'ओ' लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा-८ उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईयों का पद पूर्णकालिक है, अतः इनका विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।
- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष 2024 की 01 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु चयन वर्ष 2024 की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हुये हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष (02 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा। इस हेतु नवीन संविदा न किये जाने के कारण सहित सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। मुख्य रसोईया व सहायक रसोईया/चपरासी/चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।
- पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं लेखाकार के पदों पर चयन हेतु हाईस्कूल, इण्टर, स्नातक तथा प्रशिक्षण योग्यता के अंकों के प्रतिशत को जोड़कर शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार लब्धांक निकाला जायेगा, जिसके आधार पर सर्वोच्च गुणांकधारी अर्ह अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग हेतु बुलाया जायेगा। स्नातक स्तर के समस्त वर्षों के अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण, टी०ई०टी०, जाति प्रमाण पत्र तथा जिस श्रेणी का लाभ लेना है उन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा। काउन्सिलिंग/साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को समस्त मूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
- किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक/चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिये दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। इस हेतु अन्तिम शैक्षिक संस्था/किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यदि चयनित अभ्यर्थी की सेवायें अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हे 01 माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गम्भीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिला अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त संविदा समाप्त करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

अधिकारी

16. चयन के उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया के पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जायेगा। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। समस्त स्टाफ को अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
17. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त समस्त प्रकार के पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।
18. चपरासी व चौकीदार का पद पूर्णकालिक है अतः इन्हें विद्यालय में ही निवास करना होगा।
19. आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबन्ध के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति/एक शैक्षिक सत्र (अधिकतम 11 माह 29 दिन) हेतु होगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी सत्र के लिये सेवा अनुबन्ध का विस्तारीकरण किया जा सकता है।
20. उपरोक्त रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र के प्रारूप व शासनादेश को जनपद शाहजहांपुर की एन0आई0सी0 बेवसाइट www.shahjahanpur.nic.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
21. लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद/विषय/जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
22. अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा।
23. इच्छुक पात्र महिला अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक **०२-१२-२०२४** को सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खिरनी बाग, शाहजहांपुर, पिन कोड-242001 को केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट डाक से प्रेषित कर सकते हैं। साधारण डाक, कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी दो स्व-प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, के0जी0बी0वी0 में कार्यरत् रहने का सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 02 चरित्र प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, टी0ई0टी0 (उच्च प्राथमिक स्तर) एवं अन्य समस्त शैक्षिक अंकपत्रों/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ तथा अपना नाम एवं पता लिखे हुए 02 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें।
24. आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम व विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें।
25. स्नातक के तीनों वर्ष के अंकतालिकाएं संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर, प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
26. विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित होगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
27. उक्त विज्ञप्ति माननीय न्यायालयों में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित निर्णयों के अधीन होगी।

(दिव्या गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

Auth शाहजहांपुर।

पृ०सं० : एस०एस०ए० / के०जी०बी०वी० / **६०४४-१४** / 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय शाहजहांपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय शाहजहांपुर।
4. प्राचार्य/उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शाहजहांपुर।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, बरेली मण्डल, बरेली।
6. नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को विज्ञप्ति व आवेदन पत्र की कॉपी इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र को जनपद शाहजहांपुर की एन0आई0सी0 की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद शाहजहांपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने का कष्ट करें।
8. जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद, शाहजहांपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने का कष्ट करें।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद, शाहजहांपुर को इस आदेश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को ब्लाक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराना सुनिश्चित करें।
11. दैनिक समाचार पत्र **उत्तराखण्ड न्यूज़ एवं समाचार** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन अपने समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में न्यूनतम राजकीय दरों पर प्रदूश स्तर पर प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 01 प्रति विज्ञप्ति प्रकाशन के दिवस ही पत्रावली में रक्षित करने तथा 01 प्रति बिल के साथ सहायक सूचना निदेशक, शाहजहांपुर से प्रमाणित कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(दिव्या गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

Auth शाहजहांपुर।

८८

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदन पत्र अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं साफ-साफ भरा जाये। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल /आठवीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार लिखी जाये। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

1. जनपद का नाम.....
2. आवेदित पद का नाम.....
3. विषय (केवल पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, उर्दू टीचर व अंशकालिक शिक्षिकाओं हेतु)
.....
4. अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में).....
5. पिता का नाम (हिन्दी में)..... पति का नाम.....
6. (क) जन्मतिथि (हाईस्कूल /आठवीं के प्रमाण पत्र के अनुसार) अंकों में (DD/MM/YYYY).....
(ख) जन्मतिथि (हाईस्कूल /आठवीं के प्रमाण पत्र के अनुसार) शब्दों में
7. 01 अप्रैल 2024 को हाईस्कूल /आठवीं के प्रमाण पत्र के आधार पर आयु..... दिन.....माह.....वर्ष
8. (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना एवं पिन कोड सहित).....
.....
.....
.....
- (ब) पत्र व्यवहार का पता (थाना एवं पिन कोड सहित).....
.....
.....
.....
9. दूरभाष /मोबाइल नं.....
10. ई-मेल यदि हो.....
11. जाति /वर्ग (अनारक्षित या अनु०जाति, अन्य पिछड़ी जाति)..... (अवश्य भरा जाये तथा सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. दिव्यांगता यदि हो तो प्रकार.....
13. अभ्यर्थिनी की शैक्षिक /प्रशिक्षण योग्यता का विवरण

स्व प्रमाणित
नवीनतम फोटो
अनिवार्यतः चस्पा
करें

क्र० सं०	शैक्षिक योग्यता	संस्था / कालेज का नाम (जनपद सहित)	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	अनुक्रमां क	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाईस्कूल								
2	इण्टरमीडिएट								
3	स्नातक प्रथम वर्ष								
3	स्नातक द्वितीय वर्ष								
3	स्नातक तृतीय वर्ष								
4	प्रशिक्षण उपाधि बी०एड० / एल०टी०								
5	उच्च प्राथमिक स्तर टी०ई०टी० / सी०टी०ई०टी०								
6	अन्य योग्यता / कम्प्यूटर योग्यता								

(समस्त अंक पत्र / प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

15. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षण का अनुभव (जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र0 सं0	के0जी0बी0वी0 का नाम	पदनाम	जनपद का नाम	प्रथम संविदा की तिथि	अन्तिम संविदा की तिथि	शिक्षण कार्य का अनुभव			
						दिन	माह	वर्ष	नवीन संविदा न किये जाने का कारण

16. संलग्नकों का विवरण

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

कुल संलग्नकों की संख्या.....

घोषणा

मैं पुत्री शपथपूर्वक अभिकथन करती हूँ कि आवेदन पत्र में भरा गया उपरोक्त विवरण सत्य है एवं मेरे द्वारा किसी तरह का तथ्य गोपन नहीं किया गया है। आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य/गलत/कूटरचित पाये जाने पर सम्बंधित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा सेवा अनुबन्ध समाप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व भुगतानित मानदेय की वसूली करने का पूर्ण अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

अभ्यर्थिनी का पूरा नाम.....

पूर्ण पता.....

मोबाइल नम्बर.....

मुमा